न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 83 / 2020 राजस्व अपील

1. जयसिंह पुत्र रामसहाय
2. सुमेरसिंह पुत्र रामसहाय
   जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोली ढाणी लावडा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व निर्णय सहायक वन संरक्षक दौसा दिनांक 19.11.2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम जयसिंह वगैरा प्रकरण संख्या 12 / 2013

उपस्थिति : श्री मिट्ठन लाल गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः 21.07.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा के यहां एक इस्तगासा इस आशय का पेश किया कि अपीलान्ट ने वन खण्ड गोल—ए खसरा नम्बर नया 295 पुराना 187 रकबा 0.6 है. वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है। क्षेत्रीय वन अधिकारी दौसा की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा ने उक्त वनखण्ड गोल—ए स्थित राजकीय वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुये भू—राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत अपीलान्ट्स को अतिक्रमित रकबे से बेदखल करते हुये 1100 / —रूपये शास्ति आरोपित कर दो माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 19.11.2020 पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व प्रकरण से सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय का मूल पत्रावली तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा का निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स सहायक वन संरक्षक दौसा के समक्ष उपस्थित जरूर हुआ था परन्तु सहायक वन संरक्षक दौसा ने अपीलान्ट्स को समुचित सुनवाई व सबूत का अवसर ही प्रदान नहीं किया। जिस भूमि पर अपीलान्ट्स का अतिक्रमण बताया गया है वह भूमि वन विभाग की नहीं है बल्कि अपीलान्ट्स की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। जिस पर अपीलान्ट्स का काफी समय पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है। वन विभाग ने अपीलान्ट्स को कभी इस भूमि से बेदखल नहीं किया है। अपीलान्टस् ने इस भूमि के सम्बन्ध में उप जिला कलक्टर सिकराय के यहां दुरूस्ती इन्द्राज का वाद प्रस्तुत कर रखा है तथा स्वयं वन विभाग ने भी दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत कर रखा है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्टस्

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिक्रमी नहीं है, बल्कि भूमि का वास्तविक खातेदार व काबिज काश्तकार है। जब भूमि का प्रकरण न्यायालय में चल रहा है तो इस सम्बन्ध में वन विभाग को कोई भी कार्यवाही करने का स्वतः की अधिकार प्राप्त नहीं है, परन्तु वन विभाग ने यह जानते हुये भी कि अपीलान्ट्स ने व स्वयं वन विभाग ने न्यायालय में दुरूस्ती का दावा कर रखा है, फिर भी धारा 91 एल. आर. एक्ट की कार्यवाही करना न्यायोचित नहीं है। क्षेत्रीय वन अधिकारी से अपीलान्ट्स को जिरह करने का मौका नहीं दिया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई। क्षेत्रीय वन अधिकारी से अपीलान्ट्स को जिरह करने का मौका नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की आड में अवैधानिक रूप से वन भूमि बताकर अपीलान्ट्स को बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय द्वारा वाद दुरूस्ती विचाराधीन का विधिवत रूप से निर्णय नहीं हो जाता तब तक वन विभाग को अपीलान्ट्स के विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.11.2020 को निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट ने वनखण्ड गोल ए स्थित खसरा संख्या नया 295 पुराना 187 रकबा 0.6 है. पर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर न्यायालय सहायक वन संरक्षक द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही करते हुये निर्णय दिनांक 19.11.2020 पारित कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित वन भूमि से बेदखल कर पेनल्टी कायम करने के साथ ही दो माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील अपीलान्ट्स खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट ने वनखण्ड गोल–ए स्थित राजकीय वन भूमि खसरा संख्या नया 295 पुराना 187 रकबा 0.6 है. पर काश्त कर अतिक्रमण किया गया है। जबकि अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की खातेदारी के सम्बन्ध में न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय के यहां वाद विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.11.2020 निरस्त किया जाकर प्रकरण सहायक वन संरक्षक दौसा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं सबूत का अवसर दिया जाकर प्रश्गनत भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में विचाराधीन प्रकरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी करने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 21.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा